25-8-2020 पत्रावली आज दिनांक 25.8.2020 को पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र कांति भाई पटेल, उम्र 31 वर्ष, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, नगर पालिका शॉपिंग काम्पलेक्स, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.9.2020 को आवश्यक कार्यवश मुझे अहमदाबाद जाना पडेगा, इसके कारण में दिनांक 14.9.2020 को तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो पाउंगा, इसलिये इस प्रकरण में मेरी सुनवाई आज ही

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:40:44 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.27/2020**
	करावे। प्रतिवादी निकुंज पटेल द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण की पत्रावली आज दिनांक 25.8.2020 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.11.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस वेट फेट का नमूना जांच के लिये लिया था वह मेरी फर्म अतिथि रेस्टोरेन्ट, माउन्ट आबू से लिया गया था एवं जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया। वह मैनें अहमदाबाद की फर्म से प्राप्त किया था इसका बिल मेरे पास से मिसिंग हो गया है, इस कारण मैं बिल प्रस्तुत नही कर पाया। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। मैनें नया नया रेस्टोरेन्ट शुरु किया था तब मुझे क्वालिटी का ज्यादा ध्यान नही था। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करंता हूँ। अब मैं सारे आईटम बिल से प्राप्त करके उपयोग करना शुरु कर दिया है तथा वेट फेट का उपयोग भी बंद कर दिया है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी निकुंज पटेल द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी निकुंज पटेल की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अपने उक्त अतिथि रेस्टोरेन्ट में आम जनता को Interesterified Vegetable Fat (EMKAY LITE) में खाना सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2019 को उक्त रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ Interesterified Vegetable Fat (EMKAY LITE) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त रेस्टोरेन्ट के स्टोर में मौजूद Interesterified Vegetable Fat (EMKAY LITE) के 2x15 Kg पैक्ड टीन कंटेनर में से एक टिन खोलकर उसे अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये Interesterified Vegetable Fat (EMKAY LITE) में से 1600 ग्राम को कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाई करते हुए खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ की खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Interesterified Vegetable Fat (EMKAY LITE) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी निकुंज पटेल ने अनुरोध किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ Interesterified Vegetable Fat (EMKAY LITE) को अहमदाबाद की फर्म से खरीदा था जिसका बिल मेरे पास नही है इसलिये प्रस्तुत नही कर पाया। मैनें नया–नया ही रेस्टोरेन्ट चालू किया था, मुझे इसकी क्वालिटी की जानकारी नही थी। अब मैंने उक्त फेट का उपयोग बंद कर दिया है, भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का ......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:40:44 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.27/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र श्री कांति भाई पटेल, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, नगर पालिका शॉपिंग कॉम्पलेक्स, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 7,000/– (अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र श्री कांति भाई पटेल, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.9.2020 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:40:44 IST
Reason: SelfAttested